Ref: UOL/20-21/SEC/009

Date: 27.06.2020

To,
Bombay Stock Exchange,
Floor, 25th, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Sub.: Newspaper Advertisement for transfer of equity shares to IEPF Authority.

Dear Sir / Madam,

In Compliance with the provision of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith the following:

- 1. Copies of newspaper advertisement published in English and Reginal (Hindi) Language published on June 26, 2020.
- 2. Copy of reminder letter sent to eligible shareholders along with E-Notice via email, who have not claimed their dividend for F.Y. 2013 and seven consecutive years and whose shares are liable for transfer to the IEPF Authority.

All the above information also available on the website of the Company at http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/

This is for your kind information and record.

Thank You

For Unique Organics Limited

Ramavtar Jangid

Company Secretary





UO UNIQUE ORGANICS LIMITED

CIN: L24119RJ1993PLC007148

Reg. Office: E-521, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (Raj.)

Phone: +91-141-2770315/2770509 E-mail: compliance@uniqueorganics.com Website: www.uniqueorganics.com

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the IEPF Rules"), Dividend declared for the financial year 2012-13, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years will be transferred to the IEPF on or before September 30, 2020. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules. In compliance to the IEPF rules, the Company has communicated to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF under the said IEPF Rules for taking appropriate action. The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF suspense account including the details of unpaid or unclaimed dividend on such shares website its http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimeddividend/

Members are requested to claim the dividend declared for the financial year 2012-13 and subsequent dividends before the same is transferred to the IEPF.

In this connection, please note the following:

- a) Members holding shares in physical form: The Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer in favor of the IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of members will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable;
- b) Members holding shares in dematerialized form: The Company shall inform the depository by way of corporate action to transfer of shares in favor of the DEMAT account of the IEPF Authority.

In case, the Company does not receive any communication from the concerned members claiming unpaid/unclaimed dividend with required documents on or before August 30, 2020, the Company shall in order to comply with the IEPF Rules, transfer the unpaid or unclaimed dividend to the IEPF Authority on or before September 30, 2020.

The corresponding shares on which dividend is unpaid or unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF.

Members are eligible to claim both the unpaid or unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by submitting an online application in the Form IEPF-5 available on the website at www.iepf.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Nodal Officer of the Company at its registered office along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

In case of any queries on the above matter, members are requested to contact Mr. Uttam Sharma, Director, at M/s. ABS Consultant Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company (Unit: Unique Organics Limited), at 99, Stephen House, 6th Floor, 4, B.B.D. Bag, (East) Kolkata-700001, Phone: 033-22301043, Fax: 033-22430153, e-mail: absconsultant99@gmail.com.

For Unique Organics Limited

Place: Jaipur Date: 25.06.2020

Sd/-

Ramavtar Jangid Company Secretary

FRIDAY, JUNE 26, 2020

1.62 1.19

1.62 1.19

Narendra Kishore Gaur

0.78

73.50 73.50 47.26 46.08

| Cuarter Ended | Year Ended | S1.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Audited | Unaudited | Audited |

3.26 1.18

3,26 73.50

rienc. r is invited to provisions of Sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect o

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY ing Property No 23, Wake MojaGaddiwara, Abady Sanjay

🚳 INDIAN OVERSEAS BANK

POSSESSION NOTICE (For Immovable property) (Rule 8(1))

Soldon Lot a cream water Medigago / Guarantor to repay the antount mentioned in a menu soldon control to the control of the co

Name of Borrower/ Mortgagor & Guarantor with Address	Description of Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount as per Possession Notice
Mohd Javed Khan S/o Munna Khan Raje Babu Road Bulandshar-203001 also at R/o Chattri Compound Laxmi Nagar Bulandshar U.P. 203001 (hereinafter referred as" borrover') & Munna Khan S/o Yakub Khan (Guarantor) R/o Chattri	All that part and parcel of the property consisting of one Residential house measuring 188 Sq. Mits situated at Mchaila Chahatra Campound, Pargana Baran, Kasba Baran Tehsil 8. Dist. Bulandshar bearing municipal no. 633 word no. 13 of Mort. Kothiyat Bulandshar. Bounded: Morth Kothiyat Bulandshar. Bounded: Morth Kothi of Shri Raghuvear saran, South: Way Street and Kothi of Shri Proz Begum. East House of Hazil Rafiq, West Farlat Sayes Man Presentry of Smt. Armir Jahin Begue Nhan Presentry of Smt. Armir Jahin Begue Nhan Presentry of Smt.	Amount as per Demand Notice Rs. 17,98,471.00 + further Interest &	24.06.2020	Rs. 19,03,712.00 + further Interest & other charges
B . DE 00 0000				1 1000

| Control value | Control valu

audited standalone financial results of the Company for the quarter and year ended 31 March 2020 have been used by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 25 June, 2020. Th gorion on those results, pending at the beginning or end of Cusrier GSTIN: 07AAAC82909C1ZD

Other named boddess (200)
Their control boddess (200)
Their specified boddess (200)
Their control bo

FORM NO, INC-26
[Envasant to Sule 38 of the
Companies, (Incorporation) Raise,
914) Advertisement to be publish
in the newspaper for change of
registering the property of the property
BEFORE THE CENTRAL
GOVERNMENT
GOVERNMENT
NOTHERS REGION
In the matter of sub-section (4) of
election 3 of the Companies Act, 2
and Rule 38(5) (a) of the Companie
(Incorporation Montes).

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED ffice: Unit No. 205). 2nd Floor, Pitze-II, Namin-Viscos Bars Histor Rap, OHIN-11000 Citi: L1540001,1455P(C02872, Ph. 101-41539140 E-mail ID. Imitedatantie@gmail.com, Wabsile: verw.atlantic-commercial.com EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2020 (Fi It Lish, except per share detail)

4.38 (0.78)

3.93

4.38 (0.78)

(0.82)

UO III UNIQUE ORGANICS LIMITED

CIN: L24119RJ1993PLC007148 Reg. Office: E-521, Sitapura Industrial Area, Jajour-302022 (Raj.) Phone: +91-141-2770315/2770509

NOTICE two to Investor Education and Protection Fund (*IEPF*)

CEAT

INVESTOR EQUICATION AND PROTECTION FUND (IEP)

Notice is hareby gwen pursuant to the provisions of Section 124 (6) of
the Companies Act. 2013 ("the Act") read with the investor Education
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Returd)
Rules 2016, as notified and amended from time to time (collectively
referred as "the IEPF Rules") in connection with the transfer of those
equity shares to the IEPF in respect of which dividends have not been
claimed by shareholders for 7 (Seven) consecutively years or more,
uncluding those equity shares which were issued pursuant to Scheme
claimed by shareholders for 7 (Seven) consecutively years or more,
uncluding those equity shares which were issued pursuant to Scheme
Cell Investments Limited and their respective shareholders and having
remained unclaimed were subsequently transferred to the "Unclaimed
Securities Suspense Acocuri of the Company in accordance with
extendis Clause SA of the Listing Agreement (now Regulation 39(4))
read with Schockule V of the SEBI (Listing Collapsions and Disclosures
Requirements). Regulations, 2015.
Accordingly, individual communication has been sent to all the

nequirements), Regulations, 2015.
Accordingly, individual communication has been sent to all the concerned ahareholders, whose share(s) are lable to be transferred to the IEPF during the financial year 2002-01 and requesting them to claim such unclaimed dividend from FY 2012-13 till date, on or before September 14, 2020. Details of such shareholders and the shares have been uplicated on the Company's website www.ceat.com, under the Section "Shareholder Information."

section statestinate minimization in case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by September 14, 2020, the Company will be compelled to transfer the unclaimed dividend amount for FY. 2012-13 to the IEPF and consequently transfer the shares held by them to IEPF, without any further notice, by following the due process as provided under IEPF Rules.

under IteP Hules.

Concerned shareholders, holding such shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Demat Account, may note that the Company would be Issuing new share certificate(s) leful of original share certificate(s) held by them for transfer to the IEPF and the original share certificate(s) held by the shareholders shall stand cancelled and be deemed non-regionable.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividends and unclaimed shares including all benefits accruing on such shares, if any once transferred to IEPF may be claimed from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Fulles and no claim shall lie against the Company upon such transfer.

shall lie against the Company upon such transfer. For any further queries or claiming the unpaidfundalmed dividend and/or unclaimed shares or in case you need any information/ clarification, belase cortact Repsizar and Share Transfer Agent of the Company viz. TSR Darashaw Consultants Private Limited at 6, Haji Moosa Patwall Industrial Estate, 20, Dr. E. Moose Road, Near Famous Studio, Mariasumi, Mumbal 400 011, Tel. No. 69178484, Email Cagganiff@betfarsahas.or.

CEAT LIMITED SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Net Profit / (Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exception and/or Extraordinary items)

Regd.off: 128 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-116035, Ph.: 911-28315936 Fax: 911-28315946 Corp.Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mail, MH-8, Gurgaon (Haryana)-122011, Ph.0124-2719000, Fax: 9124-2719100 Chill. 12691201. 19591201. 195914. Wheelste: www.sainkfinance.com, Emili: Info@saink.org, legal-acertaria@sainkinining.com

Extract of Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter ended on 31st March 2020

| 3 menths | 3 menths | correspond | Vearlo date | Previous | condition | (Audited) | (Reviewed) | ended | (Reviewed) | ended | (Audited) | (Reviewed) | ended | (Audited) | (31.03.2020 26.17 289.85 127.22 627.04 686.40 127.22 627:04 26.17 289.85 686.40 (45.82) 218.58 101.15 406.28 505.53 (53.05)218.58 101.71 399.05 506.09 Equity Share Capital (face value of the share: Rs. 10 each)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year

Earning part share (APC 400 - 200). 1,088.00 1,088.00 1,088.00 1,088.00 1,088.00 3,329.80 2,930.76 0.93

Place: Rohtak (Haryana) Date: 25 June, 2020

₩RPG-

June 25, 2020

Bank of India, New Delhi Asset Recovery Branch, "Star House", 3rd Floor, H-2, Connaught Circus, New Delhi – 110001. Phone No. 011-23755606, 23755605

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVEABLE/IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Moveable Immovable Assets under the Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in particular to immove and Committee in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in particular to immove and Committee in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in particular to immove and Committee in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice in horizon provided in the I

Date : 26.06-2020, Place : New Delhi

Nicko is hardly year the place in greated any particular to Sorrowers and Guaranton that the bolow described mirrorable lash + UCI inchica 250: 251 fear of other changes due to the Bark of India, from Sorrowers Quaranton that the bolow described mirrorable lash + UCI inchica 250: 251 fear of other changes due to the Bark of India (sort India). Sorrowers and Guaranton that that is the bolow for the India (sort India) (s

Authorised Officer (Rakesh Kumar Jain), Mob. 955753988

Date: 26.06.2020, Place: New Delhi
Notice is hereby given to the public in general and in particular't
lakin + UCI since 28.09.2016 and Other Charges due to the Ber

Authorised Officer (Rakesh Kumar Jain), Mob. 9557539889 on of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of India will be sold on "As a where a", "As is what is "and "Whatever there a" base on 3007 2000, for recovery of Rs. 202.

Date: 26.06.2020, Place: New Delhi

Notes is hereby given to the public in general and in periodiar to latin + 10.00 place in general and in periodiar to latin + 10.1 since 28.12.2015 and Other Charges due to the Bank + 10.1 since 28.12.2015 and Other Charges due to the Bank + 10.00 place in the 10.00 place in the 10.00 place in the 10.00 place in the 10.00 place in 10.00 place

Notice is benty given to the public is great and in perfacilent to Decrease and Customs to that the below described immorbible groups in opticipate described in the Confederation of the Confederatio

Authorised Officer (Rakesh Kumar Jain), Mob. 9557539889 Date: 26.06.2020, Place: New Delhi

accessful bildder, if he is the sole bildder, sful bildder shall deposit 25% of the amount of bildpurchase money (including EMD already paid) immediately but not later than the

11)

forfeithd.
The balance 75% of the bidyourchase money shall be payable on or before 15th day (during banking hourn) of confirmation of the sale by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing it amount deposited what be forfeited and the Authorized Officer (Bank will be at littlery) to cancel the auction and conduct for the saudon.
On recogly of the resident sale consideration, the Authorized Officer and all bears to Sale Confirmation and the sale shall be considered complete thereafter and their the Benk shall entertain no delime.
The Authorized Officer is not bound to account the highest bod or any or all facilities and the sale shall be considered complete thereafter and their the Benk shall entertain no delime.
The Authorized Officer is not bound to account the highest bod or any or all facilities and the sale shall be account or reject say or all the block without assigning any reason thereof and vary, mortify and waive any contribution.

financialem epam in

UO /// यूनीक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

CIN: L24119RJ1993PLC007148

रजिस्ट्रेशन कार्यालय : E-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302022 (राज.)

फोन: 91-141-2770315 / 2770509

ई-मेल : compliance@uniqueorganics.com, वेबसाईट: www.uniqueorganics.com

<u>नोटिस</u>

कम्पनी के समता अंशो का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष अधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2012—13 हेतु घोषित लाभांश, जो सात वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित है, IEPF में 30 सितंबर, 2020 या इससे पूर्व हस्तांतरित कर दिया जायेगा। सम्बद्ध समता अंश जिन पर लाभांश सात लगातार वर्षों से बिना भुगतान या दावारहित था, को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा। IEPF नियमों के अनुसरण में, कम्पनी द्वारा सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके समता अंश उक्त IEPF नियमों के अन्तर्गत IEPF में हस्तांतरित किये जाने हैं, को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे अंशधारकों एवं समता अंशों, जो IEPF सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरण योग्य हैं, का पूर्ण विवरण, ऐसे समता अंशों पर बिना भुगतान या दावारहित लाभांश के विवरण सहित, इसकी वेबसाईट http://uniqueorganics-com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/ पर अपलोड कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2012—13 व पश्चात वर्ती लाभांशों का दावा इनके IEPF में हस्तांतरण से पूर्व करें। इस सम्बंध में, कृपया नोट करें कि :

- क) सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक प्रारूप में हैं: कम्पनी द्वारा समता अंशों को IEPF में हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे एवं इस प्रकार के मामले में, कम्पनी द्वारा कारपोरेट एक्शन के द्वारा डिपोजिटरी को डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों को DEMAT में बदलने तथा IEPF में हस्तांतरित करने हेतु सूचित किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो सदस्यों के नाम पंजीकृत हैं, वे स्वतः ही निरस्त व अपरक्राम्य माने जाएंगे।
- ख) सदस्य जिनके पास समता अंश डिमेटेरियलाइज्ड प्रारूप में हैं; कम्पनी कारपोरेट एक्शन द्वारा डिपोजिटरी को समता अंशों को IEPF अधिकरण के DEMAT अकाउंट में हस्तांतरित हेतु सूचित करेगी।

यदि कंपनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान / दावारहित लाभांशों हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रों सहित 30 अगस्त, 2020 या पूर्व तक प्राप्त नहीं होते हैं, तो कम्पनी द्वारा IEPF नियमों की अनुपालना में, बिना भुगतान / दावारहित लाभांश को 30 सितम्बर, 2020 या पूर्व तक IEPF अधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संबंधित समता अंशों जिनका लाभांश सात निरन्तर वर्षों से बिना भुगतान / दावारहित है, को भी बिना अन्य सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि बिना भुगतान / दावारहित लाभांश राशि एवं को IEPF हस्तांतरित समता अंशों हेतु कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

सदस्य IEPF को हस्तांतिरति बिना भुगतान / दावारहित लाभांश व संबद्ध समता अंशों, दोनों तथा ऐसे समता अंशों पर उपीजित सभी लाभ, यदि हों, के लिए फार्म IEPF-5 में IEPF अधिकरण को ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र हैं जो वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है एवं कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर इसके नोडल अधिकारी को उपयुक्त हस्ताक्षरित भौतिक प्रति में आवेदन, फार्म IEPF-5 में वर्णित आवश्यक प्रपत्र सहित भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त मामले में किसी भी जानकारी हेतु, सदस्य कृपया श्री उत्तम शर्मा, निदेशक मै. ABS कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 99 स्टीफन हाऊस, छठा माला, 4, बी.बी.डी. बाग, (पूर्व) कोलकाता—700001, (इकाई: यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड), कम्पनी के रिजस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, फोनः 033—22301043, फैक्सः 033—22430153, ई—मेल: absconsultant99@gmail.com से सम्पर्क करें।

कृते यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

ह. / – रामावतार जांगिड़

कंपनी सचिव

स्थान : जयपुर दिनांक : 25.6.2020

राजस्थान में कोरोना संऋमितों

की संख्या १६ हजार ८५ पहुंची

संक्षिप्त समाचार.....

कृषि शिक्षा पर वेबिनार के मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल समन्वित कृषि प्रणाली इकाई का भी उद्घाटन करेंगे राज्यपाल

जयप्र। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र शुक्रवार 26 जून को दोपहर बारह बजे कृषि शिक्षा पर आयोजित वेबिनार को राजभवन से वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से सम्बोधित करेंगे। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित इस वेबिनार में कृषि शिक्षा प्रणाली के सुद्ढीकरण हेत् रणनीति- कोविड-19 के बदलते परिदृश्य के तहत विषय पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये जायेंगे। दो दिवसीय वेबिनार का शुभारम्भ राज्यपाल श्री कलराज मिश्र करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल श्री मिश्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि मार्गदर्शिका 2020-21 को किसानों के लिए जारी करेंगे। कुलाधिपति विश्वविद्यालय की समन्वित कृषि प्रणाली इकाई का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर ने एक हैक्टेयर भूमि पर समन्वित खेती प्रणाली की इकाई तैयार की है। इसमें 0.25 हैक्टेयर में अनार के पौधे, 0.25 हैक्टेयर में सब्जियां, 0.50 हैक्टेयर में बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, अजोला उत्पादन एवं वर्मीकम्पोस्ट किया गया है। गाय पालन में साहीवाल और राठी देशी नस्ल की सात गोवंश हैं। कृषि मार्गदर्शिका 2020-21 में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई विभिन्न किस्में, माहवार कृषि गतिविधियां संकलित की गई हैं।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पबद्धः रघु शर्मा

जयपुर। आयुष तथा चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदेश भर में आमजन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 18 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदेश में 13 मार्च से 24 जून तक 95 हजार से ज्यादा जगहों पर 18 लाख 84 हजार 41 लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है। इसके साथ ही 4 लाख 91 हजार से ज्यादा कोरोना ड्यूटी पर गए लोगों और उनके परिजनों को भी काढ़ा बांटा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हौम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा भी लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दिए जा रहे हैं। अब तक 1 लाख 35 हजार 632 लोगों को यूनानी जोसांदा व 93 हजार लोगों को कपूरधारा वटी भी बांटी गई हैं। आयुष तथा चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मई माह में आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान 'अमृता' भी चलाया गया, जिसके तहत 4 माह में 1.50 लाख गिलोय पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताओं को बढाने में कारगर है। इसे इम्यून बुस्टर तो कहा जा सकता है लेकिन इसे दवा मानना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश कोरोना की दवा के बनाने में लगे हुए हैं, जब तक आईसीएमआर किसी दवा को अनुमति नहीं देता तब तक उसे बाजार में उतारना जायज नहीं होगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ठीक है तो 14 दिनों में आइसोलेशन के बाद व्यक्ति स्वत: ही ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार 9 बिंदुओं के आधार पर ही क्लिनिकल ट्रायल कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई जगह मरीजों द्वारा चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत आती है तो कुछेक मामलों में चिकित्सकों की भी लापरवाही दिखती है। ऐसी शिकायतें आने पर उन पर तूरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में दोनों तबकों को संतुलन में रहकर काम करना होगा तभी कोरोना जैसी महामारी को हराने में कामयाब हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने ई.सी.जी. टेवनीशियन के 195 रिक्त पदों पर भर्ती को दी मंजूरी

जयपर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ई.सी.जी. टेक्नीशियन के 195 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। कोरोना संऋमण को देखते हुए इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग के 18 अक्टूबर, 2019 को जारी राजकीय मितव्ययता परिपत्र के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के लिए वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमित लेना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अत्यावश्यक प्रकरण मानकर इसमें शिथिलन देते हुए 195 ई.सी.जी. टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में वित्त विभाग द्वारा 362 ई.सी.जी. टेक्नीशियन के रिक्त पद भरने की सहमित दी गई थी। इनमें से 112 पदों पर नियुक्ति की गई थी एवं 55 पद न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के लिए रिक्त रखे जाने के बाद 195 पद खाली पड़े हुए थे।

डन्दिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र पर पहरा बैटा दिया था- पूनियां

झुंझुनू। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा है कि 25 जून, 1975 भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के काला अध्याय के रूप में पढ़ना चाहिए उस दिन देश के लोकतंत्र पर पहरा बैठा दिया गया था। 'आपातकाल भारतीय राजनीति का काला अध्याय' विषय पर डॉ. सतीश पूनियां ने फेसबुक के माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है'। यह प्रासंगिक और समसामयिक पंक्तियां लिखी थीं। उसका समृद्ध इतिहास और परम्परा, संस्कृति, धर्म, इतिहास इन सब परिस्थितियों से रूबरू होता हुआ एक सुन्दर सनातन देश दुनिया का प्राचीन गणतंत्र गणराज्यों का उल्लेख करता है।

जयपुर/एजेंसी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भ्रष्ट लोगों में जब तक भय नहीं होगा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार जीरो टोलरेंस की नीति

पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने में एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। ?से में एसीबी को अपनी कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की जरूरत है। एसीबी अधिकारियों को चाहिए कि प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण सही ढंग से कर मामले की तह में जाने का प्रयास करें।



नवीन भवन के शिलान्यास एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के नये भवन के लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसीबी एवं ऋाइम ब्रांच में वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी मामले की जांच विशेषज्ञता के

अधिक कैसे बढी।

आधार पर हो सके। कई बार भ्रष्ट एसीबी अधिकारी यह सुनिश्चित

लेकर सही जांच हो और तार्किक अंत तक पहुंचे। शिकायत अगर झुठी है तो शिकायतकर्ता को उचित दंड मिले। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में होमगार्ड के जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ मिलकर आमजन कानून व्यवस्था बनाये रखने में साधुवाद के पात्र हैं। कोरोना से तय करना है और इसमें होमगार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

तो शिकायतकर्ता को विश्वास में तक राशन पहुंचाने से लेकर होमगार्ड के जवानों ने अच्छा सहयोग किया है, इसके लिये वे लडाई में आगे भी लंबा सफर

उत्तर पश्चिम रेलवे खली ई-निविदा सूचना गरत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उ मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर, इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्यों के लिए निर्धारित इलेक्ट्रानिक फार्मेट पर आन लाईन खुली ई-निविदा **(एकल पैकेट** प्रणाली) आमंत्रित करते हैं। निविदा सूचना संख्या : उपरे–एससी– बीकेएन–01-भटिंडा—मीलडी वाया सिरसा, हिसार, रतनगढ़ डेगाना, लूनी, समदड़ी (डेगाना राई का बाग खण्ड के दोहरीकरण कार्य के संबंध में. वास्तविक लागत के तहत विस्तत प्राकलन बनाने हेतु अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे करना, भृ तकनीकी अध्ययन, डिजाइन, प्रारूप व अन्य प्रारम्भिक गतिविधियां करना।, कार्य की अनुमानित लागत : रू. 6,86,77,800.46, जमा की जाने वाली बयाना राशि : 4,93,400.00, निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की

कॉमिक्स आदि की लॉचिंग की।

दिनांक : 27.07.2020 up to 15.00 hrs. वेबसाईट का विवरण, जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती हैं।: www.ireps gov.in, कार्यालय ई-मेल का पता deputy1bkn@gmial.com, नोट :- 1. कोई भी निविदा व्यतिगत रूप में स्वीकार नहीं की जायगी। 2. धरोहर राशि (EMD) और निविदा दस्तावेज शुल्क (TDC) का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या पेमेंट गेट वे के द्वारा ही कर सकते हैं। धरोहर राशि (EMD) और निविदा दस्तावेज शुल्क (TDC) का भुगतान एफडीआर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, डिपॉजिट रसीद के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगा। भुगतान FA & CAO (C), North Western Railway Jaipur के पक्ष में ही किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

की आवश्यकता को दर्ज करा सकते हैं। इस आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध श्रमिक जनशक्ति उनको पोर्टल पर दिखाई देगी। इस लिस्ट में से किसी का भी प्रोफाइल देख नियोक्ता उसे एसएमएस भेजकर या फोन कर सम्पर्क कर सकेगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध श्रमिक जनशक्ति में से नियोक्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर वांछित व्यक्ति या कार्मिक की तलाश कर

सकता है। तथा किसी भी पंजीकृत

श्रमिक के प्रोफाइल में एसएमएस

भेजकर अपनी रूचि दर्शा सकता

है। अगर श्रमिक की रूचि से या

नियोक्ता द्वारा किसी श्रमिक का

चयन किया जाएगा तो यह सुचना

नियोक्ता को अपडेट करनी होगी।

विकासकर्ताओं को अनुमोदित

करा सकता है। जिला कलक्टर ने बतााया कि राज

जानकारी दे सकेंगे. यह भी बता

सकेंगे कि रोजगार प्राप्ति के

सम्बन्ध में उनकी वर्तमान स्थिति

क्या है। वे अपनी सेवा की श्रेणी

व कार्य के आधार पर उपलब्ध

रोजगार की तलाश कर सकते हैं।

डॉ.जोगाराम ने बताया कि अगर

श्रिमिकों को कोई रोजगार पसंद

आता है और वह उसमें अपनी

रूचि प्रदर्शित करता है तो

सम्बन्धित नियोक्ता को उसकी

जानकारी दे दी जाएगी। मोबाइल

नम्बर के जरिए आपस में सम्पर्क

भी किया जा सकता है। आवेदन

के बाद की स्थिति भी इस पोर्टल

पर वह अपने खाते में देख सकता

है और अगर उसे प्रशिक्षण की

आवश्यकता प्रतीत होती है तो

इसके लिए भी आवश्यकता दर्ज

जयपुर । राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमित के आज 76 नये मामले सामने आये, जिससे कोरोना स्रंक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 हजार 85 पहुंच गयी। स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा अपने प्रोफाइल को अपडेट कर गरूवार को जारी रिपोर्ट के सकते हैं और संस्थान में रोजगार अनुसार नये मामलों में सर्वाधिक राजधानी जयपुर में 14, अलवर में 13, कोटा में नौ, धौलपुर में

> छह ड्रंगरपुर में पांच, दौसा में चार, हनुमानगढ में तीन, अजलमेर, झालावाड, नागौर, उदयपुर में एक-एक नया कोरोना संऋमित मामला सामने आया है। अजमेर नगर निगम के दस्ते

ने ७४ दुकानों को ध्वस्त किया

अजमेर। राजस्थान में अजमेर में नगर निगम के अतिऋमण निरोधक दस्ते ने आज 74 दुकानों को ध्वस्त कर दिया।नगर निगम का दस्ता पुलिस जाब्ते के साथ सुबह गुलाबबाड़ी रेलवे ऋाँसिंग के पास मुख्य सड़क पर पहुंचा करीब 74 दुकानों को जेसीबी के जरिए उन्हें जमींदोज कर दिया।

को पूरा करने वाला माध्यम बना "राज कौशल"

पर जाकर भी पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा sso.rajasthan.gov.in में अथवा rajkhaushal. rajasthan.gov.in के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीयन के समय आवेदक को उसकी रोजगार की स्थिति, सेवा की श्रेणी, कार्य का शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसी सूचनाएं भरनी

परिस्थितियों के कारण बाहरी

प्रदेशों से जयपुर पहुंचे प्रवासी

राजस्थानी श्रमिक एवं अन्य

व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए

https://rajkaushal.

rajasthan.gov.in पर

करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर

पंजीकरण कराने से वे उन

नियोक्ताओं, जैसे उद्योग, व्यापार,

प्रशिक्षण संस्थान के सम्पर्क में आ

सकेंगे, जिन्हें श्रमिकों या अन्य

जनशक्ति की आवश्यकता है।

रोजगार पाने के इच्छुक प्रवासी

श्रमिक एवं अन्य व्यक्ति अपने

आधार नम्बर या मोबाइल नम्बर

के जरिए भी अपना पंजीकरण

करवा सकते हैं। जिला कलक्टर

डॉ.जोगाराम ने बताया क राज

कौशल पोर्टल पर पंजीकरण

कराने के कई तरीके हैं। ई-मित्र

जयपुर/एजेंसी। कोरोना संक्रमण

से बचाव के लिए राज्य सरकार

द्वारा जारी जागरुकता अभियान के

अन्तर्गत बुधवार को जैसलमेर

जिले के पोकरण मुख्यालय स्थित

नगरपालिका सभागार में जैसलमेर

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री

शाले मोहम्मद की मौजूदगी में

क्षेत्र के व्यापारियों की कोरोना

चेतना गोष्ठी आयोजित की गई।

इसमें नगरपालिकाध्यक्ष श्री

आनन्दीलाल गुचिया, उपखण्ड

अधिकारी श्री अजय अमरावत

आदि ने विचार व्यक्त किए।

ऊर्जा

कल्ला

एवं

एवं

प्रभारी मंत्री,

बी.डी.

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने की अपील,

जागरुकता अभियान को आशातीत सफल बनाएं

पंजीकरण

जिला कलक्टर ने बताया कि इसी तरह कोई नियोक्ता भी अपनी स्स्ह

जैसलमेर प्रभारी मंत्री डॉ. बी.डी.

कल्ला ने अपने उद्बोधन में राज्य

सरकार द्वारा कोरोना बचाव से

जन-जन को सजग करने के लिए

जारी जागरुकता अभियान को

आम जन की सेहत रक्षा का

महाभियान बताया और कहा कि

इसे आशातीत सफल बनाने में हर

व्यक्ति अपनी समर्पित भागीदारी

का निर्वाह करे। उन्होंने कोरोना से

बचाव के लिए सावधानियों के

पालन को एकमात्र उपाय बताया

और व्यापारियों से कहा कि वे

स्वयं भी सजग और सतर्क रहकर

सावधानियों का पूरा-पूरा पालन

करें और अपने पास आने वाले

ग्राहकों को भी सचेत करें।

अपडेट भी कर सकेंगे। साथ ही अनियमितता उजागर

प्रवासी श्रमिक और नियोक्ता दोनों की आवश्यकता

ID का उपयोग कर स्वयं अथवा

ईमित्र कियोस्क के जरिए इस

पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा

सकता है। इसके लिए उसे अपना

बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर डालना

होगा। साथ ही उसे किस तरह के

श्रमिक या जनशक्ति की

आवश्यकता है, यह विवरण भरना

होगा। इसके बाद उसे पंजीकरण

के बारे में एसएमएस से सूचित

कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया

कि पोर्टल पर पंजीकरण करवाने

वाले श्रमिक इस पोर्टल पर अपना

प्रोफाइल देख सकेंगे एवं बाद में

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नगर परिषद की आयुक्त प्रियंका बुडानिया ने नगर परिषद द्वारा मच्छरनाशी दवा खरीद में अनियमितता पकडने वाले पार्षदों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी है। पुलिस के अनुसार प्रियंका बुडानिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पूर्व पार्षद पवन गौड़, अजय लक्की दावडा आदि के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

अजमेर । राजस्थान में अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने आज मोबाइल चोरी करने के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी हेमराज मूंड के अनुसार मोबाइल चोरी होने का थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसंधान के दौरान के कब्जे से चोरी किया।

करने वाले पार्षदों के खिलाफ प्राथमिकी

मोबाइल चोरी के दो

आरोपी गिरफ्तार

मानचित्र का पूर्णता प्रमाण पत्र अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009

मिलने में नहीं होगी देरी एक क्लिक पर होगी डिमाण्ड नोट राशि की गणना



जयपुर/एजेंसी। जयपुर विकास आयुक्त श्री टी. रविकांत ने जोन उपायुक्तो को निर्देश दिए कि विकासकर्ताओं को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र में किसी तरह की देरी नहीं हो, इसके लिए समय पर कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएं एवं एक क्लिक पर ही डिमाण्ड नोट राशि की गणना किए जाने के लिए ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। जेडीसी ने बताया कि समय पर

पुर्णता प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित करते हुए निर्देश दिए कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्यों के पेटे रहन रखे गए भूखण्डों को मुक्त करने के लिए भी उक्त गठित कमेटी ही कार्य करेगी। जेडीसी ने

के अंतर्गत जिन विकासकर्ताओं ने टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, उन आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। रविकांत ने निदशक वित्त को जेडीए जोन कार्यालयों में किसी तरह के आवेदन करने पर जेडीए द्वारा विभिन्न श्रेणियों में डिमाण्ड नोट जारी करने के लिए शीघ्र ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। जिससे एक क्लिक पर ही जेडीए डिमाण्ड नोट राशि की गणना की जाकर डिमाण्ड नोट जारी किए जा सकेंगे एवं आवेदक द्वारा भी एक क्लिक पर डिमाण्ड राशि देखी जा

डूंगरपुरः कोविड-१९ जागरूकता जिला स्तरीय कार्यऋम का शुभारंभक्षत्रिय महासभा ने सौंपा एक लाख ४१ हजार का चैक



जयपुर/एजेंसी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशानुरूप इंगरपुर जिले में सोशल डिस्टेंस, सेनटाईज एवं मास्क के उपयोग करने के डेमो मण्डल के साथ जिला स्तरीय कोविड-19 जागरूकता जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजना मंत्री एवं डुंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव

ने दीप प्रज्ज्वलन कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोविड चुनौती से लड़ने के लिए जिस एकजुटता एवं तत्परता से कार्य हुआ है यही कारण है कि आज राजस्थान पूरे देश में मण्डल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड जागरूकता अभियान की शुरूआत भी ड्रंगरपुर जिला कलक्टर श्री काना मुख्यमंत्री श्री गहलोत के दूरदर्शी निर्णयों का हिस्सा है, हमने कोरोना से आधी जंग जीत है पर आधी अभी बाकी है और उसके लिए जागरूकता अति आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक डूंगरपुर श्री गणेश घोघरा ने कहा कि राज्य सरकार ने समय पर आमजन को राहत पहुंचाई है तथा जनजाति जिले में इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा इस दौरान आमजन के लिए वरदान बनी है। सभी जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की है। संभागीय आयुक्त श्री विकास सीताराम भाले ने कहा कि डूंगरपुर जिले में टीम भावना के साथ बहत अच्छा कार्य हुआ है।

राम ने कोविड-19 के दौरान किये गये कार्यो के बारें में जानकारी दी। राज्य सरकार के निर्देशन में प्रशासन के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर ने मंच पर ही जिला प्रभारी मंत्री श्री यादव को 1 लाख 41 हजार का चैक मुख्यमंत्री कोविड-19 सहायता कोष के लिए सौपा। हिन्दी में बनाई गई एनिमेशन फिल्मस, होम क्वारेंटीन एनिमेशन फिल्म, कोरोना जागरूकता वागडी गीत आडियों एवं विडियों, सोशल डिस्टेंस के लिए वागड़ी में ऑडियों गीत, कोरोना वॉरियर्स प्रेरक गीत एवं महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं सामान्य सावधानियों की

बैंकिंग संशोधन अधिनियम अध्यादेश से सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का भी होगा कायापलट



जयपुर / एजेंसी । रिजर्व बैंक द्वारा राजस्थान में सीकर के सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वित्तीय लेनदेन पर जारी रोक के बीच केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2020 के अध्यादेश की मंजूरी से बैंक के जमाकर्ताओं में नई आशा

का संचार हुआ है। जानकारों ने आज बताया कि वर्तमान में बैंक के किसी भी प्रकार के जमाकर्ता को मात्र दो हजार रुपये की निकासी की ही इजाजत है, ऐसे में इस अध्यादेश के लागू होने के पश्चात बैंक के संचालन एवं प्रबंधन के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाएगा एवं अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों की कार्यशैली भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष हो जाएगी।

UO ॥ यूनीक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड CIN: L24119RJ1993PLC007148

ाय : E–521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302022 (राज.) फोन : 91-141-2770315 / 2770509 ce@uniqueorganics.com, वेबसाईट : www.u

कम्पनी के समता अंशो का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण दुद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष अधिकरण (लेख . अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अन्तर्ग वेत्तीय वर्ष 2012—13 हेतु घोषित लाभांश, जो सात वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित है IEPF में 30 सितंबर, 2020 या इससे पूर्व हस्तांतरित कर दिया जायेगा। सम्बद्ध समता अंश जिन प लाभाश सात लगातार वर्षों से बिना भुगतान या दावारहित था, को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया व अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएँगा। IEPF नियमों के अनुसरण में, कम्पनी द्वारा सम्बद अंशधारकों, जिनके समता अंश उक्त IEPF नियमों के अन्तर्गत IEPF में हस्तांतरित किये जाने हैं, के भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे अंशधारकों एवं समत अंशों. जो IEPF सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरण योग्य हैं. का पर्ण विवरण, ऐसे समता अंशों पर बिन भुगतान या दावारहित लाभांश के विवरण सहित, इसकी वेबसाईट http://uniqu som/investor/unpaid-unclaimed-dividend/ पर अपलोड कर दिया गया है। सदस्यों अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2012—13 व पश्चात वर्ती लाभांशों का दावा इनके IEPF में हस्तांतरण

क) सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक प्रारूप में हैं : कम्पनी द्वारा समता अंशों को IEPF हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कि जाएंगे एवं इस प्रकार के मामले में, कम्पनी द्वारा कारपोरेट एक्शन के द्वारा डिपोजिटरी क डप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों को DEMAT में बदलने तथा IEPF में हस्तांतरित करने हे ु सूचित किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो सदस्यों के नाम पंजीकृत हैं, वे स्वतः ह

ख) सदस्य जिनके पास समता अंश डिमेटेरियलाङ्ज्ड प्रारूप में हैं; कम्पनी कारपोरेट एक्शन द्वार सचित करेगी।

यदि कंपनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान/दावारहित लाभांशों हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रे नहित 30 अगस्त, 2020 या पूर्व तक प्राप्त नहीं होते हैं, तो कम्पनी द्वारा JEPF नियमों की अनुपाल में, बिना भूगतान / दावारहित लाभांश को 30 सितम्बर, 2020 या पूर्व तक IEPF अधिकरण व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संबंधित समता अंशों जिनका लाभांश सात निरन्तर वर्षों से बिन मुगतान/दावारहित है, को भी बिना अन्य सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कृपया नोः करें कि बिना भुगतान/दावारहित लाभांश राशि एवं को IEPF हस्तांतरित समता अंशों हेतु कम्पर्न

सदस्य IEPF को हस्तांतरित बिना भुगतान / दावारहित लाभांश व संबद्ध समता अंशों, दोनों तथा ऐस् प्तमता अंशों पर उर्पाजित सभी लाभ, यदि हों, के लिए फार्म IEPF-5 में IEPF अधिकरण व ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र हैं जो वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है एवं कम्पनी व पंजीकृत कार्यालय पर ड्रूसके नोडल अधिकारी को उपयुक्त हरताक्षरित मौतिक प्रति में आवेदन, फार्र IEPF-5 में वर्णित आवश्यक प्रपत्र सहित भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त मामले में किसी भी गानकारी हेतु, सदस्य कृपया श्री उत्तम शर्मा, निदेशक मै. ABS कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 9 स्टीफन हाऊँस. छठा माला. ४. बी.बी.डी. बाग, (पूर्व) कोलकाता–700001, (इकाई : यूनिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड), कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, फोन: 033–22301043, 033—22430153, ई—मेल : **absconsultant99@gmail.com** से सम्पर्क करें।

कृते यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड रामावतार जांगिर

एसीबी को लोकार्पण एवं होमगार्ड निदेशालय के नवीन भवन का शिलान्यास

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह रक्षा निदेशालय के



अधिकारी-कर्मचारी ट्रैप नहीं हो पाते हैं, ?से में आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों मे एसीबी अधिकारियों को गहन जांच-पडताल कर पता लगाना चाहिए कि सम्पत्ति आय से कई गुना

श्री गहलोत ने कहा कि प्राप्त शिकायत की तह में जाकर

हमें 🚹 🗷 /NWRailways पर फॉलो करें

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, सपादक अमृत जैन के लिये, यंगलीडर प्रेस से मुद्रित 2073, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित। मो. 9868155089, 9829193560 फोन नं. 0141-2570653 (RNI No. RAJHIN/2004/12833)

Subject: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Dear Mr	
OP ID/ Folio No.	

Address...

You are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the IEPF Rules"), Dividend declared for the financial year 2012-13, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years will be transferred to the IEPF on or before September 30, 2020. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules.

In compliance to the IEPF rules, the Company is communicating to you being the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF along with unpaid unclaimed dividend declared for the F.Y. 2012-13,

Company' has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF suspense account along with the details of unpaid or unclaimed dividend on such shares on its website at http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/

You are requested to check, verify your unpaid/unclaimed dividend at above link and claim the dividend declared for the financial year 2012-13 and subsequent year dividends before the same is transferred to the IEPF.

For claiming unpaid/ unclaimed dividend, shareholder should make a claim for its reissuance as below:

- a) A request letter should be made to the company's registrar and transfer agent (RTA) on below address: M/s. ABS Consultant Private Limited,
 - Registrar and Share Transfer Agent (Unit: Unique Organics Limited),
 - Address: 99, Stephen House, 6th Floor, 4, B.B.D. Bag, (East)
 - Kolkata-700001, Phone: 033-22301043, Fax: 033-22430153, E-mail: absconsultant99@gmail.com.
- b) It should mention the folio number in case of physical shares, or depository participant ID and client ID, and the period for which dividend has not been received. If the shares are held jointly, it should be signed by all shareholders.
- c) Along with the request letter, provide the outdated dividend warrant, if available (indemnity bond, if outdated dividend warrant not available) the client master list reflecting the current shareholder details for shares held in the demat form and other documents as advised by RTA.

In case, the Company does not receive any communication from the concerned members claiming unpaid/unclaimed dividend with required documents on or before August 30, 2020, the Company shall in order to comply with the IEPF Rules, transfer the unpaid or unclaimed dividend to the IEPF Authority on or before September 30, 2020.

The corresponding shares on which dividend is unpaid or unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF.

You are eligible to claim both the unpaid or unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by submitting an online application in the Form IEPF-5 available on the website at www.iepf.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Nodal Officer of the Company at its registered office along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

In case of any queries on the above matter, members are requested to contact Mr. Uttam Sharma, Director, at M/s. ABS Consultant Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company (Unit: Unique Organics Limited), at 99, Stephen House, 6th Floor, 4, B.B.D. Bag, (East) Kolkata-700001, Phone: 033-22301043, Fax: 033-22430153, e-mail: absconsultant99@gmail.com.

For Unique Organics Limited

Sd/-

Ramavtar Jangid

Company Secretary